[2019] 2 एस. सी. आर. **185**

प्रो**0** आर**0** के वजयसारथी और अन्य

बनाम

सुधा सीताराम और अन्य

(आपरा धक अपील सं। **2019** का **238)**

15 फरवरी**, 2019**

[डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़ और हेमंत गुप्ता**,** जेजे।]

दंड प्र क्रया संहिता**, 1973:**

482- के तहत या चका- आपरा धक कार्यवाही को समाप्त करने की मांग शुरू की- अंतर्गत धारा **405, 406, 415** और **420** आईपीसी-उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया-अपील पर**,** यह धारित कया गया- उच्च न्यायालय**,** के क्षेत्रा धकार में धारा **482** के तहत को यह जांचने की आवश्यकता है क क्या शकायत में प्रथम द्रष्टया पर इसे मान लया गया है**,** एक क थत अपराध के लए आवश्यक तत्त्व का गठन करता है-वर्तमान मामले में शकायत क थत अपराधों के गठन के लए आवश्यक बुनियादी तथ्यों से परे है- धारा **405, 406, 415** और **420** भाद व - शकायतकर्ता द्वारा एक नागरिक ववाद को एक आपरा धक प्रकृति का बनाया गया है- शकायत अदालत की प्र क्रया का दुरुपयोग करती है और इस लए इसे समाप्त करने के लए उत्तरदायी है- भाद व **1860-** धारा **405, 406,415** और **420** के तहत.

प्रतिवादी नंबर **1** की निजी शकायत पर**,** एफआईआर अंतर्गत धारा **405, 406, 415** और **420** साथ में पढ़ा जाये एवं धारा **34** आईपीसी दर्ज कया गया था। शकायतकर्ता (प्रतिवादी नंबर **1)** का मामला यह था क अपीलकर्ताओं के बेटे द्वारा रुपये की वसूली के लए दीवानी मुकदमा दायर कया गया था। अपीलकर्ताओं के बेटे द्वारा उसे (प्रतिवादी नंबर **1)** को दिए गए **20** लाख बिना कसी गुण-दोष का था क्यों क अपीलकर्ताओं को प्रतिवादी नंबर **1** द्वारा यह पैसा वापस कर दिया गया था। उसने आरोप लगाया क अपीलकर्ताओं और उनके बेटे ने पैसे की हेराफेरी की थी। अपीलकर्ताओं की या चका अंतर्गत धारा **482** द्र प्र स**,** एफआईआर को रद्द करने की मांग को खारिज कर दिया गया था और स वल सूट के निष्पादन तक आपरा धक कार्यवाही पर रोक लगा दी गई थी। अतः यह अपील प्र वष्ट कया गया अपील को स्वीकार करते हुए,

न्यायलय ने, यह धारित कया,

1.1 सीआरपीसी की धारा **482** न्याय के सरों को सुर क्षत करने के लए आवश्यक आदेश देने के लए उच्च न्यायालय की निहित शक्ति को बचाता है। उच्च न्यायालय**,** द्र प्र स की धारा **482** के तहत अपने अ धकार क्षेत्र में**,** यह जांचने के लए आवश्यक है क क्या

शकायत में कया गया कथन भारतीय दंड संहिता के तहत क थत अपराध के लए आवश्यक सामग्री का गठन होता है। यदि शकायत में कया गया कथन अपराध के लए आवश्यक तत्व का गठन नहीं करते है, तो धारा **482** के तहत आपरा धक कार्यवाही रद्द की जा सकती है आरोपों के गुणों का मूल्यांकन कए बिना शकायत की समग्र रूप से जांच की जानी चाहिए। हालां क कानून के लए ये आवश्यक नहीं है क शकायत अपराध के कानूनी अवयवों को दोहराए, शकायत में दंड संहिता के तहत अपराध बनाने के लए आवश्यक बुनियादी तत्वा शा मल होना चाहिए। अपने अन्तर्निहित निहित अ धकार क्षेत्र का उपयोग करने वाली अदालत को यह जांचना चाहिए क क्या उनके समक्ष शकायत में दिए गए कथन अपराध के लए आवश्यक तत्वा का गठन करते हैं। [पैरा **11,12** और **16] [191-**बी, डी-ई, **193-**जी]

1.2 दंड प्र क्रया संहिता की धारा **482** के तहत क्षेत्रा धकार को सतर्कता के साथ प्रयोग कया जाना है। अपने अ धकार क्षेत्र के प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय यह जांच कर सकता है क क्या एक मामला जो अनिवार्य रूप से एक नागरिक प्रकृति का है, को एक आपरा धक अपराध का एक लबादा दिया गया है। जहां एक आपरा धक अपराध का गठन करने के लए आवश्यक सामग्री शकायत को पढने में नहीं मलती है, आपरा धक कार्यवाही की निरंतरता जरी रखने से अदालत की प्र क्रया का दुरुपयोग । [पैरा **23] [198-**डी]

इं डयन ऑयल कॉर्पन वनाम एनईपीसी इं डया ल मटेड **(2006) 6** एससीसी **736: [2006] 3** सप्ल। एससीआर **704-**पर निर्भर।

2.1 वर्तमान मामले में, पहले प्रतिवादी ने शकायत में आरोप लगाया है क अपीलकर्ताओं ने दं प्र स की धारा 34 के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 405,406,415 और 420 के तहत अपराध कया हैं। शकायत को देखने से स्पष्ट है क अपीलकर्ताओं में से कसी को भी पहली प्रतिवादी द्वारा कोई रा श नहीं सौंपी गई थी और अपीलकर्ताओं द्वारा कसी भी संप त्त को वतरित करने के लए पहली प्रतिवादी कको कोई बेईमानी से प्रेरित नहीं की गई थी। जैसा क शकायत में पहली प्रतिवादी ने कहा था, पैसा अपीअल्कर्ताओं के बेटे का था यह अपीलकर्ताओं के बेटे द्वारा अपनी इच्छा से उसे हस्तांतरित कया गया था। आरोप लगाया गया था क पैसे उनके बेटे के निर्देश पर अपीलकर्ताओं को वापस कर दिए गए थे। इस प्रकार शकायत को पढने से पता चलता है क भा द वी धारा 405,415 और 420 के तहत अपराधों के गठन के लए आवश्यक तत्वों का निर्धारण नहीं होता है अतः कोई अपराध नहीं बनता है..

इस प्रकार, वर्तमान मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 405,406,415 और 420 के तहत क थत अपराधों का गठन करने के लए आवश्यक बुनियादी तथ्यों से परे है। [कं डका 20 और 21] [196-ई-एफ, 197-डी]

2.2 वर्तमान वाद में, अपीलकर्ताओं के बेटे ने पहले प्रतिवादी के खलाफ धन की वसूली के लए एक स वल वाद दायर कया है। मुकदमा लंबित है। पहले प्रतिवादी ने अपीलकर्ताओं के खलाफ क थत लेनदेन की तारीख के छह साल बाद और मुकदमा दायर करने के लगभग तीन साल बाद शकायत दर्ज की है। शकायत में दिए गए कथन पढ़ने से प्रथम द्रष्टव्या भारतीय दंड संहिता के तहत अपराधों का गठन करने के लए आवश्यक सामग्री का खुलासा नहीं करता है। इसके बाबजूद पहले प्रतिवादी द्वारा एक स वल बिवाद को आपरा धक प्रकृति का जामा पहनाने का प्रयास कया गया है, एक आपरा धक अपराध का गठन करने के लए आवश्यक सामग्री की अनुपस्थिति के बावजूद प्रथम प्रतिवादी द्वारा अपीलकर्ताओं के खलाफ दाएर की गयी वाद अदालत की प्र क्रया का दुरुपयोग है और इसे खारिज कया जा सकता है। [पैरा 24]

बिनोद कुमार बनाम बिहार राज्य **(2014) 10** एससीसी **663: [2014] 11** एससीआर **85;** कर्नाटक राज्य बनाम एल। मुनिस्वामी **(1977) 2** एससीसी **699: [1977] 3** एससीआर **113-**पर निर्भर। राजेश बजाज बनाम दिल्ली के एनसीटी राज्य **(1999) 3** एससीसी **259; [1999] 1** एससीआर **1012-** अनुपयुक्त, अपील लायक नहीं पाया गया ।

केस लॉ संदर्भ

[2006] 3 पूरक एससीआर **704** पर वश्वास कया गया पैरा 10

[2014] 11 एससीआर **85** पैरा **19** पर वश्वास कया गया

[1999] 1 एससीआर **1012** अनुपयुक्त, अपील लायक नहीं पाया गया पैरा **21**

[1977] 3 एससीआर **113** पैरा **22** पर वश्वास कया गया

आपरा धक अपील क्षेत्रा धकार; आपरा धक अपील संख्या 238/19

कर्नाटक उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 01.09.2016 से बेंगलुरु में आपरा धक या चका सं 3675/2016

श्री निधेश गुप्ता, वरीय अ धवक्ता ..... श्री संजय जैन,

श्री अनुराग टंडन, अ धवक्ता.....अपीलकर्ताओं के लए।

सुश्री प्रीति श्रीकुमार, सुश्री नेहा माथेन, जोसेफ अरस्तू, श्रीमती प्रया अरस्तू, शवा पी..... उत्तरवादिओं की और से।

न्यायालय द्वारा निर्णय दिया गया.

डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड, जे.

1. वलंब क्षमा कया गया।

2. वर्तमान अपील कर्नाटक उच्च न्यायालय के 1 जनवरी 2016 के निर्णय और अंतिम आदेश से उत्पन्न हुआ है, जिसमे अपीलकर्ताओं के वरुद्ध पहले प्रतिवादी द्वारा शुरू की गयी आपरा धक कार्यवाही को रद्द करने की प्राथना को ख़ारिज कर दिया गया था। उच्च न्यायालय ने पहले प्रतिवादी के खलाफ अपीलकर्ताओं के बेटे द्वारा दाएर स वल मुक़दमे के निसतारन तक आपरा धक कार्यवाही पर रोक लगा दी गयी।

3. वर्तमान ववाद से संबं धत तथ्य इस प्रकार हैंः

श्री राजीव वजयसार थरत्नम, (अपीलकर्ताओं के बेटे) और स वता

सीतारम (पहले प्रतिवादी की बेटी) की शादी 24 मई 2002 को हुई थी। वे संयुक्त राज्य अमेरिका चले गए और 2009 में उनके एक बच्चे का जन्म हुआ। स वता, 5 फरवरी 2010 को एक कार दुर्घटना में सं लप्त पायी गयी थी और उसके खलाफ वदेश में कार्यवाही शुरू की गई थी। अपीलकर्ताओं का यह आरोप है क कार्यवाही में उनके बेटे की संप त्त की कुर्की के डर से, राजीव द्वारा 17 फरवरी 2010 को पहले प्रतिवादी के खाता में 20 लाख रुपये की रा श हस्तांतरित की गई थी वैवाहिक संबंधों में टूटने के बाद, स वता और राजीव अक्टूबर 2010 से अलग रह रहे हैं। व भन्न अदालतों में मुकदमेबाजी के कई दौर चले।

4. स वता ने अपने पति राजीव और अपीलकर्ताओं के खलाफ एक आपरा धक वाद[1] दर्ज की, जिसमें आपरा धक धमकी और दहेज की मांग सहित व भन्न अपराधों को करीत करने का आरोप लगाया गया। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी सं 2 के खलाफ कार्यवाही को रद्द कर दिया 14 फरवरी 2013 को, राजीव ने पैसे की वसूली के लए दीवानी मुकदमा दायर कया? उसके द्वारा क थत रूप से उसके बैंक खाते में हस्तांतरित धन[2] की वापसी के लए पहली प्रतिवादी के खलाफ मुकदमा लंबित है। स वता द्वारा दायर की गयी दो तलाक या चकाएँ पारिवारिक न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया है।

5. 25 फरवरी 2016 को, पहले प्रतिवादी ने अपीलकर्ताओं[3] के खलाफ एक परिवाद वाद दर्ज की, जो वर्तमान अपील का वषय है।

पहले प्रतिवादी का आरोप है क अपीलकर्ताओं के बेटे द्वारा हस्तांतरित 20 लाख रुपये की रा श 1 जुलाई 2010 को 24,000 रुपये के ब्याज के साथ अपीलकर्ताओं को नकद में वापस कर दी गई थी।

---

[1] पीसीआर नं। 2012 का 3418; एफआईआर नं। 2012 का 18 23 फरवरी 2012 को पंजीकृत हुआ।

[2] एस. एन. ओ. 2013 के 1305

[3] 2016 के पीसीआर 2116

प्रो आर के वजयसारथी बनाम सुधा सीतारम

[डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे.]

पहले प्रतिवादी द्वारा रसीद क थत तौर पर नहीं प्राप्त होने का आरोप लगाया गया है और आरोप लगाया गया है क अपीलकर्ताओं और उनके बेटे ने पैसे की हेराफेरी की है और अपीलकर्ताओं के बेटे द्वारा दायर स वल वाद निराधार/बिना योग्यता के है। **11** मई **2016** को, अतिरिक्त मेट्रोपॉ लटन मजिस्ट्रेट प्रथम सुचना प्रतिवेदन दर्ज करने एवं अनुसन्धान हेतु दंड प्र क्रया संहिता **1973** की धारा **156 (3)** के तहत जांच के लए निर्दे शत कया । **19** मई **2016** को, भारतीय दंड संहिता की धारा **405,406,415** और **420** एवं **34** के साथ एक प्रथम सूचना रिपोर्ट * दर्ज की गई थी.

अपीलकर्ताओं ने प्रथम सुचना प्रतिवेदन रद्द करने की उनकी या चका को उच्च न्यायालय के निर्णय और अंतिम आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया जिससे व्य थत होकर अपीलकर्ताओं ने वर्तमान अपील दायर की है।

6. श्री नीधेश गुप्ता, वरिष्ठ अ धवक्ता..... अपीलकर्ता की और से निम्न ल खत प्रस्तुतियाँ दीः

(क) जैसा की शकायत में कहा गया है उससे कोई अपराध नहीं बनता है

(ख) पहले प्रतिवादी ने स्वीकार कया है क वह राशी जो वर्तमान ववाद का वषय है, अपीलकर्ताओं के बेटे से प्राप्त हुई थी;

(ग) वर्तमान ववाद का वषय दीवानी प्रकृति का है और आपरा धक वाद अदालत की प्र क्रया का दुरुपयोग है; तथा

घ) वर्तमान वाद में लगाया गया आरोप पहले प्रतिवादी की बेटी द्वारा दायर पछली आरोप के समान हैं।

7. इसके बिपरीत , उत्तरदाताओं के वद्वान अ धक्वाकता सुश्री प्रथास्री कुमार ने निम्न ल खत प्रस्तुतियाँ दीः

(1) आपरा धक कार्यवाही को रद्द करने योग्य नहीं है क्यों क आपरा धक वाद में लगाये गए आरोप भारतीय दंड संहिता की धारा **405,406,415** और **420** का गठन करने के लए प्रयाप्त आवश्यक सामग्री उपलब्ध हैं;

(2) अपीलकर्ताओं ने अपने बेटे के साथ मलकर पैसे की हरपने के लए यह वाद दा खल कया है क्यों क **20,24,000** रुपये की रा श हस्तांतरित होने पर पहली प्रतिवादी को कोई रसीद नहीं दी गई थी; और

(3) कानून के लया यह आवश्यक नहीं है क आपरा धक वाद में, अपराध के प्रत्येक घटक को शब्दतः प्रस्तुत कया जाए।

8. प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतीकरण न्यालय के लए वचाराधीन है

9. इस न्यायालय के समक्ष प्राथ मक प्रश्न यह है क क्या उच्च न्यायालय ने उनके खलाफ आपरा धक कार्यवाही को रद्द करने की या चका को खारिज करके गलती की है**?** वर्तमान ववाद के मूल में सवाल यह है क क्या आपरा धक वाद में उल्लिखीटी आरोप भारतीय दंड संहिता के तहत अपराध का गठन करने के लए आवश्यक सामग्री उपलब्ध करते है।

10. दंड प्र क्रया संहिता की धारा **482** न्याय के लक्ष्यों को सुर क्षत करने के लए आवश्यक आदेश देने के लए उच्च न्यायालय की अन्तर निहित शक्ति को सुर क्षत करती है।

इं डयन ऑयल कॉर्पन बनाम एनईपीसी इं डया ल मटेड**,**

इस न्यायालय की दो न्यायाधीशों की खंडपीठ ने दंड प्र क्रया संहिता **1973** की धारा **482** के तहत क्षेत्रा धकार के प्रयोग पर दिशानिर्देशो की समीक्षा की और निम्न ल खत मार्गदर्शक सद्धांत तैयार कएः

"12......

(i) एक परिवाद को इस आधार पर रद्द कया जा सकता है जहां परिवाद में लगाये गए आरोप प्रथमतः सम्पूर्णता में स्वीकृत कने के बावजूद अ भयुक्त्गन के वरुद्ध प्रथम द्रष्टव्या कसी भी अपराध का गठन नहीं करता है या अ भयुक्त के खलाफ कोई आपरा धक मामला नहीं बनता है। इस प्रयोजन के लए**,** परिवाद की की न तो समग्र रूप से जांच की जानी चाहिए**,** न ही आरोपों के गुणों की जांच की जानी चाहिए. परिवाद पत्र की वस्तृत जांच और साम ग्रयों का सावधानीपूर्वक वश्लेषण एवं उसकी वश्वसनीयता का वास्त वक आकलन आवश्यक नहीं है

शकायत में आरोपों की**,** शकायत को रद्द करने के लए प्रार्थना की जांच करते समय वारंट कया जाता है।

(ii) एक परिवाद पत्र को तब भी रद्द कया जा सकता है जहां यह स्पष्ट हैकी यह अदालत की प्र क्रया का दुरुपयोग है जैसे की**,** जब अपराधी कार्यवाही प्रतिशोध लेने या नुकसान पहुंचाने के लए दुर्भावनापूर्ण मनसा से सुरु की गयी हो है**,** या जहां लगाये गए आरोप बेतुका है और स्वाभा वक रूप से असंभव प्रतीत होता है।

(iii) परिवाद को रद्द करने की शक्ति का उपयोग कसी वैध अ भयोजन को दबाने के लए बा धत करने के लए नहीं कया जाएगा। ऐसी न्यायिक शक्ति का प्रयोग संयम से और प्रचुर सावधानी के साथ कया जाना चाहिए।

(iv) परिवाद में क थत अपराध के आरोप को शब्दतः प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। यदि परिवाद में आवश्यक तथ्यात्मक आरोपों की सामग्री है तो केवल अपराधो के कुछ अवयवो की वस्तार से नहीं बताने के कारण आपरा धक कार्यवाही नहीं रद्द की जानी चाहिए**,** आपरा धक कार्यवाही तभी रद्द करना उ चत है जब परिवाद पत्र में लगाये आरोप बेहद सं क्षप्त और अपराध के

मौ लक एवं आवश्यक तत्वों का खुलासा नहीं करते है.

(v)…..”

11. उच्च न्यायालय को, आपरा धक प्र क्रया संहिता की धारा 482 के तहत अपने अ धकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए , यह जांचना आवश्यक है क क्या शकायत में दिए गए कथन दंड संहिता के तहत क थत अपराध के लए आवश्यक सामग्री का गठन करते हैं । यदि उनके चेहरे पर लए गए कथन अपराध के लए आवश्यक सामग्री का गठन नहीं करते हैं, तो धारा 482 के तहत आपरा धक कार्यवाही रद्द की जा सकती है । एक आपरा धक कार्यवाही को रद्द कया जा सकता है जहां शकायत में लगाए गए आरोप दंड संहिता के तहत कसी अपराध के घटित होने का खुलासा नहीं करते हैं । आरोपों की गुणवत्ता का मूल्यांकन कए बिना, शकायत की समग्र रूप से जांच की जानी चाहिए। हालाँ क कानून में यह आवश्यक नहीं है क शकायत शब्दशः अपराध की कानूनी सामग्री को दोहराए, शकायत में दंड संहिता के तहत अपराध बनाने के लए आवश्यक बुनियादी तथ्य शा मल होने चाहिए ।

12. पहले प्रतिवादी ने शकायत में आरोप लगाया है क अपीलकर्ताओं ने दंड संहिता की धारा 34 के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 405 , 406 , 415 और 420 के तहत अपराध कया है। इस प्रकार उपरोक्त अपराधों की सामग्री की जांच करना आवश्यक होगा और क्या शकायत में लगाए गए आरोप, सीधे पढ़ने पर, दंड संहिता के तहत उन अपराधों को आक र्षत करते हैं ।

13 दंड संहिता की धारा 405 इस प्रकार है:

धारा 405 - वश्वास का आपरा धक उल्लंघन - जो कोई भी, कसी भी तरह से संप त्त सौंपा गया हो, या संप त्त पर कसी प्रभुत्व के साथ, बेईमानी से उस संप त्त का दुरुपयोग करता है या अपने स्वयं के उपयोग के लए परिवर्तित करता है, या बेईमानी से उस संप त्त का उल्लंघन करता है या उसका निपटान करता है कानून का कोई भी निर्देश उस तरीके को निर्धारित करता है जिसमें ऐसे ट्रस्ट का निर्वहन कया जाना है, या कसी भी कानूनी अनुबंध, व्यक्त या निहित, जिसे उसने ऐसे ट्रस्ट के निर्वहन से संबं धत कया है, या जानबूझकर कसी अन्य व्यक्ति को ऐसा करने के लए प्रेरित करता है, "आपरा धक" अपराध करता है वश्वास घात करना"।

धारा 405 को ध्यानपूर्वक पढ़ने से पता चलता है क आपरा धक वश्वासघात के तत्व इस प्रकार हैं:

i) कसी व्यक्ति को संप त्त सौंपी जानी चाहिए, या संप त्त पर प्रभुत्व सौंपा जाना चाहिए;

ii) उस व्यक्ति को उस संप त्त का बेईमानी से दुरुपयोग करना चाहिए या अपने उपयोग के लए परिवर्तित करना चाहिए, या उस संप त्त का बेईमानी से उपयोग या निपटान करना चाहिए या जानबूझकर कसी अन्य व्यक्ति को ऐसा करने के लए कष्ट देना चाहिए; और

iii) इस तरह का दुरुपयोग, रूपांतरण, उपयोग या निपटान कानून के कसी भी निर्देश का उल्लंघन होना चाहिए जो उस तरीके को निर्धारित करता है जिसमें ऐसे ट्रस्ट का निर्वहन कया जाना है, या कसी भी कानूनी अनुबंध का उल्लंघन होना चाहिए जो व्यक्ति ने ऐसे ट्रस्ट के निर्वहन को छूते हुए कया है।

सौंपना अपराध का एक अनिवार्य घटक है। एक व्यक्ति जो लगाए गए दायित्व की शर्तों के वपरीत उन्हें सौंपी गई संप त्त का बेईमानी से दुरुपयोग करता है, वह आपरा धक वश्वासघात के लए उत्तरदायी है और दंड संहिता 6 की धारा 406 के तहत दं डत कया जाता है।

सौंपना अपराध का एक अनिवार्य घटक है। एक व्यक्ति जो लगाए गए दायित्व की शर्तों के वपरीत उन्हें सौंपी गई संप त्त का बेईमानी से दुरुपयोग करता है, वह आपरा धक वश्वासघात के लए उत्तरदायी है और दंड संहिता **6** की धारा **406** के तहत दं डत कया जाता है।

14 दंड संहिता की धारा **415** इस प्रकार है:

" धारा **415** . धोखाधड़ी.- जो कोई कसी व्यक्ति को धोखा देकर, धोखे से या बेईमानी से उस व्यक्ति को धोखा देने के लए प्रेरित करता है **6** धारा **406**[4], आपरा धक वश्वास भंग के लए सजा.- जो कोई भी आपरा धक वश्वास उल्लंघन करेगा, उसे कसी एक अव ध के लए कारावास, जिसे तीन साल तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माना, या दोनों से दं डत कया जाएगा। कसी भी व्यक्ति को कोई संप त्त सौंपना, या सहमति देना क कोई भी व्यक्ति कसी भी संप त्त को बनाए रखेगा, या जानबूझकर उस व्यक्ति को कुछ भी करने या करने के लए प्रेरित करता है जो वह नहीं करता या छोड़ देता अगर उसे इस तरह धोखा नहीं दिया जाता, और जो कार्य करता है या चूक से उस व्यक्ति के शरीर, मन, प्रतिष्ठा या संप त्त को क्षति पहुंचती है या होने की संभावना है, इसे "धोखा देना" कहा जाता है। धोखाधड़ी का अपराध गठित करने की साम ग्रयां इस प्रकार हैं

i) कसी व्यक्ति को धोखा देकर धोखाधड़ी या बेईमानी से प्रलोभन दिया जाना चाहिए;

ii) (ए) इस प्रकार प्रेरित व्यक्ति को जानबूझकर कसी व्यक्ति को कोई संप त्त देने के लए प्रेरित कया जाना चाहिए या यह सहमति देने के लए प्रेरित कया जाना चाहिए क कोई भी व्यक्ति कसी भी संप त्त को बनाए रखेगा, या

(बी) इस प्रकार प्रेरित व्यक्ति को जानबूझकर कुछ भी ऐसा करने या करने के लए प्रेरित कया जाना चाहिए जो वह नहीं करता या छोड़ देता अगर उसे धोखा नहीं दिया जाता; और

iii) उपरोक्त **(ii) (**बी) द्वारा कवर कए गए मामलों में, कार्य या चूक ऐसा होना चाहिए जिससे प्रेरित व्यक्ति के शरीर, दिमाग, प्रतिष्ठा या संप त्त को नुकसान या नुकसान होने की संभावना हो।

---

[4] धारा **406** वश्वास के आपरा धक उल्लंघन के लए सजा -जो कोई भी आपरा धक वश्वासघात करता है, उसे या तो ववरण के कारावास के साथ दं डत कया जाएगा, जो तीन साल तक या जुर्माना या जुर्माना के साथ हो सकता है।

कपटपूर्ण या बेईमान प्रलोभन अपराध का एक अनिवार्य घटक है। एक व्यक्ति जो बेईमानी से कसी अन्य व्यक्ति को कोई संप त्त वतरित करने के लए प्रेरित करता है वह धोखाधड़ी के अपराध के लए उत्तरदायी है।

15. दंड संहिता की धारा **420** इस प्रकार है:

" धारा **420 .** धोखाधड़ी और बेईमानी से संप त्त की डलीवरी के लए उत्प्रेरित करना - जो कोई धोखाधड़ी करता है और इस तरह बेईमानी से धोखेबाज व्यक्ति को कसी भी संप त्त को कसी व्यक्ति को देने के लए प्रेरित करता है, या कसी मूल्यवान सुरक्षा के पूरे या कसी हिस्से को, या हस्ताक्षरित या सील की गई कसी भी चीज़ को बनाने, बदलने या नष्ट करने के लए प्रेरित करता है। , और जो मूल्यवान सुरक्षा में परिवर्तित होने में सक्षम है, उसे कसी भी अव ध के लए कारावास से दं डत कया जाएगा जिसे सात साल तक बढ़ाया जा सकता है, और जुर्माना भी लगाया जा सकता है। धारा **420** के तहत अपराध गठित करने की साम ग्रयां इस प्रकार हैं:

i) कसी व्यक्ति को धारा **415** के तहत धोखाधड़ी का अपराध करना होगा; और

ii) जिस व्यक्ति को धोखा दिया गया है उसे बेईमानी से प्रेरित कया जाना चाहिए

(ए) कसी भी व्यक्ति को संप त्त वतरित करना; या

(बी) मूल्यवान सुरक्षा या हस्ताक्षरित या मुहरबंद और मूल्यवान सुरक्षा में परिवर्तित होने में सक्षम कसी भी चीज़ को बनाना, बदलना या नष्ट करना।

धारा **420** के तहत अपराध बनने के लए धोखाधड़ी एक आवश्यक घटक है ।

16. अपने अंतर्निहित क्षेत्रा धकार का प्रयोग करने वाली अदालत को यह जांच करनी चाहिए क क्या उनके सामने, शकायत में दिए गए कथन अपराध के लए आवश्यक तत्व हैं। पहले प्रतिवादी द्वारा दायर की गई शकायत का प्रासं गक उद्धरण नीचे दिया गया है:

"आरोपी व्यक्ति के बेटे श्री राजीव वजयसारथी रत्नम ने अपने सभी पैसे अलग-अलग खातों में स्थानांतरित करना शुरू कर दिया और अमेरिका में अपने कुछ पैसे बेंगलुरु, भारत में अपने माता-पता के खातों में भी स्थानांतरित कर दिए और उन्होंने अपनी पत्नी यानी शकायतकर्ता की बेटी से भी अनुरोध कया क वह भी बेंगलुरु में शकायतकर्ता के खाते में कुछ धनरा श स्थानांतरित करना चाहता था... राजीव वजयसारथी रत्नम ने अपने कुछ पैसे आरोपी नंबर **1** और **2** और शकायतकर्ता को हस्तांतरित कर दिए... यह उल्लेख करना और भी प्रासं गक है क दुर्घटना **05.02.2010** को हुई थी और धन हस्तांतरित कया गया था। **17.02.2010,** स्थानांतरण श्री राजीव वजयसारथी रत्नम के आदेश पर असुरक्षा के कारण कया गया था, शकायतकर्ता द्वारा पैसे की मांग या आवश्यकता नहीं की गई थी।

शकायतकर्ता की बेटी सुश्री स वता सीतारम ने शकायतकर्ता को पैसे के हस्तांतरण को स्वीकार करने के लए राजी कया जो क आरोपी व्यक्ति के बेटे श्री राजीव वजयसारथी रत्नम के लाभ के लए था और इसे उसके लए ट्रस्ट में रखने के लए था और तदनुसार आरोपी के बेटे ने **17** फरवरी को पैसे हस्तांतरित कर दिए। शकायतकर्ता के खाते में **2010** रु. **20,00,000/- (**केवल बीस लाख रुपये)... यह उल्लेख करना उ चत है क आरोपी व्यक्ति के बेटे श्री राजीव वजयसारथी रत्नम ने शकायतकर्ता और उसके पति पर आरोपी व्यक्ति को ब्याज सहित नकद के माध्यम से उक्त धनरा श का भुगतान करने के लए दबाव डाला... श्री। राजीव वजयसारथी रत्नम ने उपरोक्त धनरा श यानी रुपये की वापसी की मांग की। **20,00,000/-" "...**उक्त धनरा श का भुगतान आरोपी व्यक्ति के बेटे श्री राजीव वजयसारथी रत्नम के आदेश के अनुसार नकद में कया गया था, जिसने झूठा और तुच्छ मुकदमा दायर कया है..." (जोर दिया गया)

17. कसी अ धनियम के लए आवश्यक शर्त दंड संहिता की धारा **405** के तहत अपराध का गठन यह है क अ भयुक्त को कुछ संप त्त सौंपी गई थी या संप त्त पर उसका प्रभुत्व है। पहले प्रतिवादी ने कहा है क ववादित रा श अपीलकर्ताओं के बेटे ने अपनी इच्छा से उसे हस्तांतरित की थी। शकायत में स्पष्ट रूप से कहा गया है क रा श अपीलकर्ताओं के बेटे के लाभ के लए हस्तांतरित की गई थी और पहले प्रतिवादी को उसके लए रा श **'**ट्रस्ट में**'** रखनी थी।

शकायत में आरोप लगाया गया है क अपीलकर्ताओं को पैसा 'अपीलकर्ताओं के बेटे के आदेश के अनुसार' हस्तांतरित कया गया था। शकायत में प्रथम दृष्टया अपीलकर्ताओं को कोई संप त्त सौंपे जाने का उल्लेख नहीं है।

18. दंड संहिता की धारा **415** के तहत कसी कार्य को अपराध बनाने के लए आवश्यक शर्त यह है क अ भयुक्त द्वारा बेईमानी से प्रलोभन दिया गया था। पहली प्रतिवादी ने स्वीकार कया क ववादित रा श **17** फरवरी **2010** को अपीलकर्ताओं के बेटे द्वारा उसके बैंक खाते में स्थानांतरित कर दी गई थी। उसका आरोप है क उसने अपीलकर्ताओं के बेटे से संबं धत धन उसके कहने पर स्थानांतरित कर दिया था। अपीलकर्ताओं की ओर से ऐसा कोई कार्य नहीं कया गया है जो पहले प्रतिवादी द्वारा अपीलकर्ताओं को कसी भी संप त्त की डलीवरी के लए प्रेरित करने के इरादे का खुलासा करता हो। इस प्रकार शकायत में ऐसा कुछ भी नहीं है जो यह दर्शाता हो क अपीलकर्ताओं ने बेईमानी से पहले प्रतिवादी को कोई संप त्त उन्हें देने के लए प्रेरित कया। दंड संहिता की धारा **420** के तहत धोखाधड़ी एक अपराध का एक अनिवार्य घटक है । धोखाधड़ी के अपराध का गठन करने के लए आवश्यक घटक शकायत के पहलू से सामने नहीं आते हैं और परिणामस्वरूप, धारा **420** के तहत कोई अपराध नहीं बनता है।

19. बिनोद कुमार बनाम बिहार राज्य में एक सं वदा कर्मचारी को कुछ निश्चित रा श देय थी। जब अनुबंध की समाप्ति के कारण देय रा श का भुगतान नहीं कया गया, तो कर्मचारी ने अपीलकर्ता के खलाफ आपरा धक वश्वासघात का आपरा धक मामला दायर कया। रद्द करने के लए दंड प्र क्रया संहिता की धारा **482** के तहत अपीलकर्ताओं की या चका उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दी गई थी। इस न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ ने अपराध की सामग्री की जांच की और क्या शकायत ने कसी अपराध के घटित होने का खुलासा कया। इस न्यायालय ने आपरा धक कार्यवाही को इस प्रकार रद्द कर दिया:

"**14.** इस स्तर पर, हम केवल इस सवाल से चंतित हैं क क्या शकायत में अं कत मूल्य पर लए गए कथन आपरा धक अपराध की सामग्री बनाते हैं या नहीं।

18. वर्तमान मामले में, शकायत में आरोपों को प्रथम दृष्टया देखने पर, हम पाते हैं क आईपीसी की धारा **405** के तहत कोई भी आरोप नहीं लगाया गया है। इसी तरह, खुद को गलत लाभ पहुंचाने या शकायतकर्ता को गलत नुकसान पहुंचाने के लए पैसे को अपने पास रखने में धोखाधड़ी या अपीलकर्ताओं के बेईमान इरादे के बारे में कोई आरोप नहीं है।

इन बेबुनियाद आरोपों को छोड़कर क अपीलकर्ताओं ने दूसरे प्रतिवादी **7 (2014) 10** एससीसी **663** को भुगतान नहीं कया और अपीलकर्ताओं ने रा श का उपयोग स्वयं या कसी अन्य कार्य के लए कया, इसमें बेईमान इरादे के बारे में कोई आरोप नहीं है। संप त्त का दुरुपयोग...

19. भले ही अं कत मूल्य पर ली गई शकायत में सभी आरोप सही हों, हमारे वचार में, बेईमानी से हेराफेरी और धोखाधड़ी के बुनियादी आवश्यक तत्व गायब हैं। आपरा धक कार्यवाही अन्य उपचारों का शॉर्टकट नहीं है। चूं क आपरा धक वश्वासघात या प्रलोभन के बेईमान इरादे का कोई मामला नहीं बनता है और धारा **405/420** आईपीसी की आवश्यक सामग्री गायब है , धारा **406 / 120-**बी आईपीसी के तहत अपीलकर्ताओं का अ भयोजन रद्द कया जा सकता है।

20. पैसे की वसूली के लए अपीलकर्ता के बेटे द्वारा **2013** में पहले प्रतिवादी के खलाफ मुकदमा दायर कया गया था । दंड संहिता के तहत अपराध का आरोप लगाने वाली शकायत पहले प्रतिवादी द्वारा **2016** में देर से दायर की गई थी। शकायत को देखने से यह स्पष्ट है, प्रथम प्रतिवादी द्वारा कसी भी अपीलकर्ता को कोई रा श नहीं सौंपी गई थी और अपीलकर्ताओं द्वारा कसी भी संप त्त को वतरित करने के लए पहले प्रतिवादी को कोई बेईमानी से प्रेरित नहीं कया गया था। जैसा क शकायत में पहले प्रतिवादी ने कहा था, पैसा अपीलकर्ताओं के बेटे का था। इसे अपीलकर्ता के बेटे ने अपनी इच्छा से उसे हस्तांतरित कया था। आरोप था क पैसा अपीलकर्ताओं को उनके बेटे के निर्देश पर वापस कर दिया गया था। इस प्रकार शकायत को पढ़ने से पता चलता है क दंड संहिता की धारा **405, 415** और **420** के तहत अपराध कायम करने के लए आवश्यक सामग्री तैयार नहीं की गई है।

21. उत्तरदाताओं ने राजेश बजाज बनाम एनसीटी दिल्ली राज्य[5] में इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा कया है। उस मामले में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने दंड संहिता की धारा **420** के तहत अपराध का आरोप लगाने वाली एक एफआईआर को इस आधार पर रद्द कर दिया था क शकायत में कसी भी अपराध के होने का खुलासा नहीं कया गया था। शकायतकर्ता की अपील को स्वीकार करते हुए, इस न्यायालय ने इस प्रकार कहा:

"**9.** यह आवश्यक नहीं है क एक शकायतकर्ता अपनी शकायत के मुख्य भाग में उस अपराध के सभी तत्वों को शब्दशः प्रस्तुत करे जिस पर वह आरोप लगा रहा है। न ही यह जरूरी है क शकायतकर्ता इतने शब्दों में कहे क आरोपी की मंशा बेईमानी या धोखाधड़ी थी. अपराध के व भन्न घटकों में परिभाषा को वभाजित करना ता क सूक्ष्मता से जांच की जा सके क शकायत में सभी तत्वों को सटीक रूप से व र्णत कया गया है या नहीं, इस स्तर पर इसकी आवश्यकता नहीं है। यदि शकायत में अपराध के लए तथ्यात्मक आधार रखा गया है, तो अदालत को जांच चरण के दौरान आपरा धक कार्यवाही को केवल इस आधार पर रद्द करने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए क एक या दो अवयवों को ववरण के साथ नहीं बताया गया है..." निर्णय प्रस्तुत करने को आगे नहीं बढ़ाता है प्रथम प्रतिवादी. जैसा क हमने ऊपर उल्लेख कया है, वर्तमान मामले में शकायत दंड संहिता की धारा **405 , 406 , 415** और **420** के तहत क थत अपराध का गठन करने के लए आवश्यक बुनियादी तथ्यों से रहित है।

---

[5] (1999) 3 एससीसी 259

22. अपीलकर्ता के वद्वान वरिष्ठ वकील ने तर्क दिया क पहले प्रतिवादी के कार्यों से अदालत की प्र क्रया का दुरुपयोग होता है। यह तर्क दिया गया है क वर्तमान ववाद एक नागरिक प्रकृति का है और पहले प्रतिवादी ने वृद्ध अपीलकर्ताओं को परेशान करने के लए इसे आपरा धक रंग देने का प्रयास कया है। यह भी तर्क दिया गया है क शकायत दर्ज करने में अनु चत देरी हुई है, जिसके कारण वर्तमान अपील उत्पन्न हुई है, और यह अपीलकर्ताओं के खलाफ शकायत दर्ज करने में पहले प्रतिवादी के दुर्भावनापूर्ण इरादे को दर्शाता है। अपीलकर्ताओं के वद्वान वरिष्ठ वकील ने कर्नाटक राज्य बनाम एल मुनिस्वामी**9** मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा कया। उस मामले में, अ भयोजन पक्ष ने आरोप लगाया क आठ आरो पयों ने **9 (1977) 2** एससीसी **699** के तहत शकायतकर्ता को मारने की साजिश रची थी। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने इस आधार पर कार्यवाही रद्द कर दी क आरोपी के खलाफ कोई पर्याप्त आधार नहीं बनाया गया था। इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने निम्न ल खत टिप्प णयों के साथ राज्य की अपील को खारिज कर दिया:

"**7...**इस संपूर्ण शक्ति के प्रयोग में, उच्च न्यायालय कसी कार्यवाही को रद्द करने का हकदार है यदि वह इस निष्कर्ष पर पहुंचता है क कार्यवाही जारी रखने की अनुमति देना न्यायालय की प्र क्रया का दुरुपयोग होगा या न्याय के उद्देश्यों के लए यह आवश्यक है कार्यवाही रद्द की जानी चाहिए।

स वल और आपरा धक दोनों मामलों में उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों की बचत, एक हितकारी सार्वजनिक उद्देश्य को प्राप्त करने के लए डज़ाइन की गई है, जो यह है क अदालत की कार्यवाही को उत्पीड़न या उत्पीड़न के ह थयार में बदलने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। एक आपरा धक मामले में, लचर अ भयोजन के पीछे छिपी हुई वस्तु, उस सामग्री की प्रकृति जिस पर अ भयोजन की संरचना टिकी हुई है और इसी तरह की चीजें न्याय के हित में कार्यवाही को रद्द करने के लए उच्च न्यायालय को उ चत ठहराएंगी।" **23** दंड प्र क्रया संहिता की धारा **482** के तहत क्षेत्रा धकार का प्रयोग सावधानी से कया जाना चाहिए। अपने अ धकार क्षेत्र के प्रयोग में, एक उच्च न्यायालय यह जांच कर सकता है क क्या कोई मामला जो अनिवार्य रूप से नागरिक प्रकृति का है, उसे आपरा धक अपराध का जामा पहनाया गया है। जहां कसी आपरा धक अपराध का गठन करने के लए आवश्यक सामग्री शकायत को पढ़ने से नहीं मलती है, आपरा धक कार्यवाही जारी रखने से अदालत की प्र क्रया का दुरुपयोग होगा।

24 वर्तमान मामले में, अपीलकर्ताओं के बेटे ने पहले प्रतिवादी के खलाफ धन की वसूली के लए एक नागरिक मुकदमा दायर कया है। मुकदमा लंबित है. पहले प्रतिवादी ने क थत लेनदेन की तारीख के छह साल बाद और मुकदमा दायर करने के लगभग तीन साल बाद अपीलकर्ताओं के खलाफ शकायत दर्ज की है। शकायत में दिए गए कथन, जैसे ही पढ़ा जाए, दंड संहिता के तहत अपराध गठित करने के लए आवश्यक तत्वों का खुलासा नहीं करते हैं । आपरा धक अपराध गठित करने के लए आवश्यक सामग्री के अभाव के बावजूद पहले प्रतिवादी द्वारा एक नागरिक ववाद को आपरा धक प्रकृति का जामा पहनाने का प्रयास कया गया है। प्रथम प्रतिवादी द्वारा अपीलकर्ताओं के खलाफ दायर की गई शकायत अदालत की प्र क्रया का दुरुपयोग है और इसे रद्द कया जा सकता है।

25 उपरोक्त कारणों से अपील स्वीकार की जाती है। उच्च न्यायालय के फैसले को रद्द कर दिया गया है और अपीलकर्ताओं के खलाफ पहले प्रतिवादी द्वारा शुरू की गई **2016** की पीसीआर **2116** से उत्पन्न आपरा धक कार्यवाही रद्द कर दी गई है। हालाँ क, हम स्पष्ट करते हैं क धन की वसूली के लए अपीलकर्ताओं के बेटे द्वारा दायर लंबित स वल मुकदमे की योग्यता पर कोई राय व्यक्त नहीं की गई है। लम्बित वाद का निस्तारण व ध सम्मत कया जायेगा।

[डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़] .....जे.

[हेमंत गुप्ता] .....।.....जे।

नई दिल्ली;

15 फरवरी **2019.**